क्रम संख्या–78

अ०शा०प० सं० : 2435/43–2–97-14/2(13)/97-टी०सी०

एस० एन० शुक्ल,
प्रमुख सचिव।

प्रशासनिक सुधार अनुभाग–2
उत्तर प्रदेश शासन।

लखनऊ : दिनांक 2 अगस्त, 1997

प्रिय महोदय,

प्रभावी एवं संवेदनशील सरकार के लिये कार्य योजना तैयार करने के संबंध में विचार-विमर्श करने हेतु दिनांक 24 मई, 1997 को नयी दिल्ली में मा० मुख्य मंत्रियों के हुए सम्मेलन के वक्तव्य के प्रस्तर 6.1 जो सिटिजन्स चार्टर के संबंध में है, के संलग्न उद्धरण का कृपया अवलोकन करें।

2—उक्त वक्तव्य में भारत सरकार द्वारा यह अपेक्षा की गयी है कि जन साधारण से संबंधित विभागों/कार्यालयों के नागरिक चार्टरस तैयार कराये जायें। यह नागरिक चार्ट्र्स सेवा का मानक एवं समय अवधि इंगित करेगा जिसे जन सामान्य साधारणतया आशा करता है। नागरिक एवं उपभोक्ता समूहों को सम्मिलित करते हुए जन शिकायतों के निस्तारण के अवसर देने एवं स्वतंत्र छान-बीन की व्यवस्था भी करायी जानी अपेक्षित है। कृपया उक्त नागरिक चार्टरस का व्यापक प्रचार कराया जाय।

3—इस संबंध में आपसे अनुरोध करने की मुझसे अपेक्षा की गयी है कि उपरोक्तानुसार एवं विभाग की परिस्थितियों के अनुसार अपने विभाग से संबंधित नागरिक चार्ट्र्स कृपया शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर तैयार करने एवं उसे तीन माह के भीतर लागू/पूरा कराने का कष्ट करें। कृपया की गयी कार्यवाही से प्रशासनिक सुधार विभाग को अवगत करा दें ताकि माननीय प्रधानमंत्री जी के आगामी समीक्षा सम्मेलन हेतु राज्य सरकार की प्रगति से भारत सरकार को अवगत कराया जा सके।

संलग्न : उपर्युक्त

भवदीय,
एस० एन० शुक्ल,
प्रमुख सचिव।

प्रमुख सचिव/सचिव (नाम से),
गृह/राजस्व/सिंचाई/परिवहन/आवास/ग्राम्य विकास/
खाद्य एवं रसद/ऊर्जा/नगर विकास विभाग।